(28) (154)

III/निग०/ अभी/ 19/ वा0/2017/3018

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म.प्र.)

Rs.20 TWENTY RUPEES

Rs.30/-

सत्य प्रसाद सिंह तनय छोटेलाल सिंह निवासी ग्राम पडैनिया, तह0 गोपदबनास, जिला सीधी, (म.प्र.)

...................पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

01– राजेश्वरी सिंह तनय छोटेलाल सिंह, निवासी ग्राम ग्राम पडैनिया, तह0 गोपदबनास, जिला सीधी, (म.प्र.)

02– श्रीमती शकुन्तला सिंह उर्फ कुन्ती देवी पत्नी स्व. विष्णू प्रताप सिंह

03– पुष्पराज सिंह तनय स्व. विष्णू प्रताप सिंह

04– हेमराज सिंह पिता स्व. विष्णू प्रताप सिंह

सभी निवासी ग्राम अमहवा, तह0 गोपदबनास, जिला सीधी, (म.प्र.)

05– सरला सिंह पुत्री स्व. विष्णू प्रताप सिंह पत्नी श्री वैजनाथ सिंह उर्फ मामू निवासी ग्राम पहउआ, तह0 गुढ़, जिला–रीवा (म.प्र.)

06– सुरेखा सिंह पुत्री स्व. विष्णू प्रताप सिंह निवासी ग्राम बहेरा (रामडीह), तह0 सोहावल, जिला–सीधी (म.प्र.)

...................गैर पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, संभाग रीवा, जिला रीवा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 79/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2017 के विरुद्ध

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्न है :–

01– यह कि आधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, संभाग रीवा, जिला रीवा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 79/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2017 विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सत्य प्रसाद सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग./2017/3018/रि.ए. जिला– सीधी

सत्यप्रसाद सिंह विरूद्ध राजेश्वरी सिंह

(1)	(2)	(3)
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री विरेन्द्र पाठक, अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवां के प्रकरण क्रमांक 79/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 25-08-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 31-08-2017 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	